न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाडा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारीः–सुनिता यादव, आर.ए.एस.
मुकदमा संख्याः–67/2018 प्रार्थना पत्र
श्री नारायण पिता नंदा बलाई, उम्र बालिग निवासी कालसांस तहसील व जिला भीलवाडा (राजस्थान)

–––प्रार्थी

बनाम

1–श्री जमनालाल पिता मांगीलाल भील, उम्र बालिग निवासी कालंसास तहसील व जिला भीलवाड़ा
2–श्री काना पिता उदा खटीक, उम्र बालिग निवासी कालंसास तहसील व जिला भीलवाड़ा
3–श्री ज्ञानमल पिता लादू खटीक, उम्र बालिग निवासी सांगानेरी गेट–भीलवाड़ा तहसील भीलवाड़ा
4–श्री श्याम लाल पिता जगदीश खटीक, उम्र बालिग निवासी सुभाषनगर–भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
5–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज0)

–––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः–..11.6.2018

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कालंसास पटवार हल्का रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 1491/6 रकबा 2 बीघा मे स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से नये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिसमें प्रार्थीगण अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15.3.2018 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर निवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आ दे श ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम कालंसास पटवार हल्का रीछड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा में उसके खाते संयुक्त खातों की आराजी नम्बर 1491/6 रकबा 2 बीघा भुमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक महुआकंला को 300/–रूपये (अक्षरेः– तीनः सौ रूपये मात्र.) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीयो मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके पर कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें। अगर फसल खड़ी हो तो पत्थरगढ़ी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः–तहसीलदार, भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने परनियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner